न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2019	30.01.2019	22/4/19

अनुवान

1. हंसराज पुत्र श्री जयनारायण जाति अहीर निवासी आकोली की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. धर्मवीर पुत्र हुकमचन्द जाति अहीर निवासी आकोली की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,, कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री दुलीचन्द यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रणवीर यादव अभिभाषक अप्रार्थी

:– प्रार्थी/वादी

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिपत विवरण इस प्रकार है कि विवादित हाल आराजी खं0न0 94 रकबा 0.39 है0 जिसके साकि नम्बर 21 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम आकोली मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की मुताबिक जमाबंदी हाल हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर हम काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम का ही अमल हो रहा है जमा सरकारी राजकोष में अदा कर रहे है। तथा ख0 स0 93 वाके ग्राम आकोली जो कि मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी की डोल में डोल लगते हुए तरफ पूर्व में असल प्रतिवादी सं0 1 की आराजी स्थित है। हाल आराजी खं0 सं0 94 जिसके साबिक नम्बर 21 मिन तरफ पूर्व कोना उत्तरी में असल प्रतिवादी सं0 1 धर्मवीर की आराजी लगते हुए है। विवादित आराजी के एक्त पार्चा नक्शा मसाबी संवत 1982 एवं हाल संवत 2029 में पूर्व व पश्चिम की दोनो भुजाएं तरफ उत्तर में बन्दो बस्त विभाग के कर्मचारीयांन एवं अधिकारीयान द्वारा काफी अन्तर कर दिया गया है। गत मसाबी एक्स पार्चा की दोनो भुजाएं बाहर की तरफ फैली हुई है। जबकि हाल नक्शा एक्स पार्चा में दोनो भुजाओ को सिकुडा दिया गया है। जबकि विवादित आराजी का रक्बा मौके पर पूरा कायम है। तथा मौके पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी विवादित आराजी के रकबा 0.39 है0 पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक मसाबी गत नक्शा एक्स पार्चा के अनुसार हाल एक्स पार्चा में दुरूस्ती करवाने हेतु मिन वादी व तर0 प्रति0 ने असल प्रति0 सं0 2 से कई मर्तबा कहा है जो आज कल आज कल कहकर टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 22.01.2019 को प्रतिवादी असल संख्या 2 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही एक्स पार्चा हाल को मुताबिक मसाबी नक्शा के दुरूस्त करने हेतु कहा है। मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी एक्स एक्स पार्चा हाल को मुताबिक मसाबी नक्शा एक्स पार्चा के अनुसार ही दुरूस्त करवाने का अधिकारी है अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती एक्स पार्चा पेश करना लाजिम आया है। हाल एक्स पार्चा नक्शा व विवादित आराजी ख0 सं0 94 के तरफ पूर्व में डोल से लगते हुए खं0 सं0 93 की डोल में असल प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादी तरतीी प्रतिवादीगण की आराजी की तरफ पूर्वी डोल को मिसमार कर तथा गलत तौर पर पैगाईश करवा कर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की आराजी में जब्रन प्रवेश कर आराजी के रकबा को दबाते हुये नीवं आदी खोदकर दिनांक 22.01.2019 को निर्माण करने की कुचेष्टा की है मौके पर आमादा फिसाद हुये बमुश्किल वाका टला यदि असल प्रतिवादी 1 अपने मन्सूबों में कामयाब हो गया तो मिन वादी के अधिकारो पर कुठाराघात होगा सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण असल प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि असल अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 इस कदर पारित की जावे की आराजी खं0 सं0 93 की आड में गलत तौर पर पैमाईश करवा कर खं0 सं0 94 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 की तरफ पूर्वी डोल को प्रतिवादी संख्या 1 मिसमार ना करे, ना आराजी में जब्रन प्रवेश कर कब्जा करे, व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादी में किसी प्रकार से मजहमत मदालखत पैदा ना करे, वादी व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी जोतने बोने फसल काटने समेटने में रूकावट बाधा पैदा ना करे, विवादित आराजी के किसी भी जुज में असल प्रतिवादी संख्या नींव आदी खोदकर कच्चा या पक्का निर्माण ना करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथावत् स्थिती कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 धर्मवीर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया की आराजी खं0 न0 94 सम्पूर्ण पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने अपने मकानात बनाकर रिहायश की हुई है कोई काश्त नही हो रही है। तरतीबी प्रतिवादी अभय सिंह ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 94 की बाबत न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, कोटकासिम में एक सिविल वाद बअनुवान अभय सिंह बनाम धर्मवीर आदि के नाम से दायर किया हुआ है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 09.04.2019 की नियत है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी दोनो भाईयों ने आपसमें मिल्लत कर अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 94 की बाबत एक वाद न्यायालय श्रीमान में व एक तरतीबी प्रति0 का मौके पर व एक्सपार्चा में रकबा पूरा है वादी व तरतीबी प्रतिवादी एक्सपार्चा को किसी भी सूरत में दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र /वाद में किसी भी प्रकार से हक हकूक कानूनन रक्षित नही है। दिनांक 22.01.2019 की कहानी गलत है, स्वीकार है 2 वादी एक्सपार्चा को दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वैसे भी मामला सिविल न्यायालय का है अदालत श्रीमान को वाद पत्र सुनने का अधिकार नही है।

प्रार्थना पत्र का जिमन न0 7 गलत है, अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी की आराजी में किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी नही की। पैमाईश विधिवत तरीके से श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम द्वारा न्यायालय एस0डी0ओ0 कोटकासिम के आदेशानुसार की हुई है। दिनांक 22.01.2019 की कहानी प्रार्थी ने समस्त मिथ्या, बनावटी व झूठी दर्ज जिमन में की है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी है। मिन अप्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 93 का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से यह झूठा, प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया है जो काबिले खारिज है ।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विवादित हाल आराजी खं0न0 94 रकबा 0.39 है0 जिसके साकि नम्बर 21 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम आकोली मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की मुताबिक जमाबंदी हाल हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर हम काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम का ही अमल हो रहा है जमा सरकारी राजकोष में अदा कर रहे है। तथा ख0 स0 93 वाके ग्राम आकोली जो कि मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी की डोल में डोल लगते हुए तरफ पूर्व में असल प्रतिवादी सं0 1 की आराजी स्थित है। हाल आराजी खं0 सं0 94 जिसके साबिक नम्बर 21 मिन तरफ पूर्व कोना उत्तरी में असल प्रतिवादी सं0 1 धर्मवीर की आराजी लगते हुए है। विवादित आराजी के एक्त पार्चा नक्शा मसाबी संवत 1982 एवं हाल संवत 2029 में पूर्व व पश्चिम की दोनो भुजाएं तरफ उत्तर में बन्दो बस्त विभाग के कर्मचारीयांन एवं अधिकारीयान द्वारा काफी अन्तर कर दिया गया है। गत मसाबी एक्स पार्चा की दोनो भुजाएं बाहर की तरफ फैली हुई है। जबकि हाल नक्शा एक्स पार्चा में दोनो भुजाओ को सिकुडा दिया गया है। जबकि विवादित आराजी का रक्बा मौके पर पूरा कायम है। तथा मौके पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी विवादित आराजी के रकबा 0.39 है0 पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक मसाबी गत नक्शा एक्स पार्चा के अनुसार हाल एक्स पार्चा में दुरूस्ती करवाने हेतु मिन वादी व तर0 प्रति0 ने असल प्रति0 सं0 2 से कई मर्तबा कहा है जो आज कल आज कल कहकर टाल बाल करते रहे है लेकिन अब दिनांक 22.01.2019 को प्रतिवादी असल संख्या 2 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही एक्स पार्चा हाल को मुताबिक मसाबी नक्शा के दुरूस्त करने हेतु कहा है। मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी एक्स एक्स पार्चा हाल को मुताबिक मसाबी नक्शा एक्स पार्चा के अनुसार ही दुरूस्त करवाने का अधिकारी है अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती एक्स पार्चा पेश करना लाजिम आया है। हाल एक्स पार्चा नक्शा व विवादित आराजी ख0 सं0 94 के तरफ पूर्व में डोल से लगते हुए खं0 सं0 93 की डोल में असल प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादी तरतीी प्रतिवादीगण की आराजी की तरफ पूर्वी डोल को मिसमार कर तथा गलत तौर पर पैमाईश करवा कर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की आराजी में जब्रन प्रवेश कर आराजी के रकबा को दबाते हुये नीवं आदी खोदकर दिनांक 22.01.2019 को निर्माण करने की कुचेष्टा की है मौके पर आमादा फिसाद हुये बमुश्किल वाका टला यदि असल प्रतिवादी 1 अपने मन्सूबों में कामयाब हो गया तो मिन वादी के अधिकारो पर कुठाराघात होगा सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण असल प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने R.L.W 2016 (2) RJ Page 1321, R.L.W 2011 (2) RJ Page 1113 H.C, R.L.W 2008 (1) RJ Page 175, R.L.W 2005 (2) RJ Page 219 , R.L.W 2012 (1) RJ Page 359 की नजीर पेश की।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दुओं पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीयक्षति साबित करनी होती है। प्रार्थी ने दुरूस्ती में कहा क्या दुरूस्ती चाहिए। इसका खुलासा नही किया है (भूमि की भुजा, रकबा, गलती का खुलासा नही किया है।) मौके पर मकानात बने हुए है, वहा पर काश्त ही नही हुई है। मेरी भूमि की पैमाईश हुई थी, मौके पर न्यायालय हाजा के आदेश से पत्थरगढ़ी की गई। मौके पर आज भी पत्थर कायम है। आराजी खसरा नम्बर 94 की बाबत न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, कोटकासिम में एक सिविल वाद बअनुवान अभय सिंह बनाम धर्मवीर आदि के नाम से दायर किया हुआ है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 09.04.2019 की नियत है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी दोनो भाईयों ने आपस में मिल्लत कर अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 94 की बाबत एक वाद न्यायालय श्रीमान में व एक तरतीवी प्रति0 द्वारा न्यायालय सिविल में दायर कर रखता है। मौके पर व एक्सपार्चा में रकबा पूरा है वादी व तरतीवी प्रतिवादी एक्सपार्चा को किसी भी सूरत में दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र /वाद में किसी भी प्रकार से हक हकूक कानूनन रक्षित नही है। दिनांक 22.01.2019 की कहानी गलत है, स्वीकार है 2 वादी एक्सपार्चा को दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वैसे भी मामला सिविल न्यायालय का है अदालत श्रीमान को वाद पत्र सुनने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने सन् 1925–26 सम्वत 1982 का एक्स पार्चा व वर्तमान एक्स पार्चा प्रस्तुत किया है व दोनो में अन्तर होने का कथन करते हुए एक्स पार्चा दुरस्ती का दावा पेश किया है। प्रत्येक काश्तकार को जमावंदी व नक्शा के मुताबिक कब्जा काश्त का अधिकार है। यदि उक्त रिकॉर्ड में किसी प्रकार की भिन्नता है तो उसे रिकॉर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में रिकार्ड नक्शा व मौका में कितना अन्तर है, गत एक्स पार्चा व वर्तमान एक्स पार्चा में कितना अन्तर है, उसका निर्धारण व निर्णय मूल वाद में किया जाएगा, मगर प्रार्थी को प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड शुद्धि का अधिकार है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है।

सुविधा संतुलन का बिन्दु दोनो पक्षो में साबित है क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थी वर्षो से मौके पर काबिज काश्त है। बिना रिकार्ड शुद्धि व बिना विधिक आदेश मौका स्थिति में परिवर्तन से दोनो पक्षो को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। किसी भी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के कब्जा में दखल देने से पक्ष को असुविधा होगी।

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर मौका स्थिति परिवर्तन से होने वाली अपूरणीय क्षति है। दोनो पक्ष लम्बे समय से अपनी–अपनी कब्जा काश्त में है व उसी अनुरूप प्रति वर्ष काश्त करते है। अप्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई गई है। प्रार्थी एक्स पार्चा में दुरूस्ती करवाना चाहता हैं। अप्रार्थी द्वारा प्राधिकृत एजेंसी राजस्व विभाग द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई गई है व उसके अनुरूप उसे अपनी कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग का अधिकार है, मगर प्रार्थी द्वारा एक्स पार्चा दुरूस्ती के दावा में गुणावगुण के निर्णय से मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में मौका स्थिति में स्थाई प्रकृति का कोई भी निर्माण दोनो पक्षो के लिए क्षतिकारक होगा। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु आंशिक तौर पर दोनो पक्षकारान के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति दोनो बिन्दु आंशिक तौर पर दोनो पक्षकारान के पक्ष में साबित है। वाद कलिष्टता व वाद बहुलता रोकने के लिए न्यायालय को यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि अप्रार्थी पत्थरगढ़ी की सीमा के अन्दर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है, मगर अप्रार्थी दोनो पक्षकारान के मध्य की सीवं डोल पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण न करे। इसी प्रकार प्रार्थी भी दोनो पक्षकारान के मध्य की सीवं डोल पर किसी प्रकार पुख्ता निर्माण न करे।

अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 आराजी खं0 सं0 94 व आराजी खं0 सं0 93 वाके आकोली तहसील कोटकासिम के मध्य की सीवं डोल पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण न करे।

निर्णय आज दिनांक 22/4/19 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner